देहरादून,पौड़ी–गढ़वाल व अल्मोड़ा से प्रकाशित | www.page3news.in | नगर संस्करण वर्ष 14 अंकः 309 पृष्ठ : 8 मूल्यः एक रूपए

विचार–प्रवाह...दुनिया ने राहत की सांस ली

पेज थ्री

देहरादून, मंगलवार, 21 जनवरी 2020

PAGE 3 PUBLICATION

मौसम अधिकतम 18.0° न्यूनतम 7.0°

41528.91

2 बोले प्रिंस हैरी, 'बेहद दुखी हूं'

7 कोहली और रोहित की बादशाहत कायम

संक्षिप्त समाचार

शेल्टर होम केसः छात्राओं से रेप में 19 दोषी

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज) नई दिल्ली। बिहार के मुजफ्फरपुर के शेल्टर होम केस में दिल्ली की साकेत कोर्ट ने 19 लोगों को दोषी ठहराया है। इन सभी को शेल्टर होम में रहने वाली लड़कियों के यौन उत्पीड़न का दोषी ठहराया गया है। इन सभी की सजा का ऐलान 28 जनवरी को किया जाएगा। इसके अलावा अदालत ने एक आरोपी मोहम्मद साहिल उर्फ विक्की को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सौरभ कुलश्रेष्ठ की अदालत ने मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर समेत 19 लोगों को 1045 पन्नों के अपने आदेश में दोषी ठहराया है। इस मामले में आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो ऐक्ट के तहत भी केस दर्ज किया गया था।

अब देविंदर के बांग्लादेश कनेक्शन की होगी जांच

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज) श्रीनगर। हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादियों को पनाह देने वाले जम्मू–कश्मीर पुलिस के डीएसपी देविंदर सिंह के बांग्घ्लादेश कनेक्घ्शन की जांच हो रही है। सोमवार को यह जानकारी जम्घ्मू–कश्घ्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने दी। हाल ही में खुलासा हुआ था कि देविंदर सिंह साल 2019 में बांग्घ्लादेश की तीन बार यात्रा कर चुका है। मीडिया से बातचीत में डीजीपी दिलबाग सिंह ने बताया, हमारी जानकारी में आया है कि देविंदर सिंह की बेटियां बांग्घ्लादेश में पढ़ रही हैं। इस बात की जांच हो रही है कि उसकी ये यात्राएं क्या इसी सिलसिले में थीं।

साईंबाबा के जन्मस्थान को लेकर जंग

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज) अहमदनगर। महाराष्ट्र सरकार के एक फैसले से साईंबाबा के भक्तों के बीच जंग छिड़ गई है। दरअसल, सीएम उद्धव ठाकरे ने पाथरी को साईं का जन्मस्थान बताकर विकास के लिए 100 करोड़ रुपये की राशि का ऐलान कर दिया। उनके ऐसा कहते हैं कि शिरडी के साईं भक्त नाराज हो गए और उन्होंने अनिश्चितकालीन बंद का ऐलान कर दिया।

जनता ने नकारा तो झूठ फैला रहे

जेपी नड्डा के स्वागत समारोह में पीएम मोदी ने विपक्ष पर बोला हमला

- नड्डा का निर्विरोध हुआ निर्वाचन, अमित शाह समेत तमाम नेताओं ने दी बधाई

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)

नई दिल्ली। बीजेपी के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के स्वागत में पार्टी मुख्यालय में हुए समारोह में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर तीखे हमले बोले। उन्होंने कहा कि जनता द्वारा नकारे जा चुके लोगअब झूठ और भ्रम को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। सीएए को लेकर जारी विरोध–प्रदर्शनों की तरफ इशारा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, श्नकारे गए लोग भ्रम फैला रहे हैं, लेकिन लोगों का भरोसा डिगा नहीं है। उनका झूठ चलता रहेगा और हम भी चलते रहेंगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वागत भाषण में नड्डा को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि विपक्ष को जनता ने नकार दिया है और अब उन्होंने झूठ और भ्रम को हथियार बना लिया है। उन्होंने कहा, हमारे लिए और सक्रियता की आवश्यकता है, जन–जन तक पहुंचने की आवश्यकता है। नकारे गए लोग भ्रम फैला रहे हैं, लेकिन लोगों का भरोसा डिगा नहीं है। उनका झूठ चलता रहेगा और हम भी चलते रहेंगे।

पीएम मोदी ने कहा, चुनावी राजनीति में जनता ने जिन्हें नकार दिया, उनके पास अब बहुत कम शस्त्र बचे हैं। इनमें है झूठ फैलाना, बार–बार झूठ फैलाना। यह हम लगातार देख रहे हैं।श उन्होंने कहा, जनता ही हमारी ताकत है। उसी शक्ति ने पहली बार किसी गैर–कांग्रेसी पार्टी को पूर्ण बहुमत दिया और दोबारा उससे भी मजबूत बहुमत देकर चुना।

नड्डा पर हिमाचल से ज्यादा बिहार के लोगों का हकः पीएम मोदी प्रधानमंत्री ने कहा, हिमाचल के लोगों को लगता होगा कि हिमाचल का एक बेटा आज बीजेपी का अध्यक्ष बना है लेकिन नड्डा जी पर जितना हक हिमाचल का है, उतना ही बिहार का भी है। नड्डाजी की पढ़ाई लिखाई बिहार से हुई है। उन पर बिहार ज्यादा गर्व कर रहा होगा। हिमाचल तो गर्व कर सकता है कि अटलजी भी उन्हीं के थे। मेरे जीवन का सबसे ऊर्जा भरे दिन हिमाचल के ही थे। बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह की तारीफ करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि उन्होंने पार्टी को बहुत मजबूती दी।

जेपी नड्डा बने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष

नई दिल्ली। केंद्र की सत्ता पर आरूढ़ भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) में नड्डा युग का आरंभ हो चुका है। पार्टी के संविधान के मुताबिक चुनाव की सारी प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए वरिष्ठ नेता जगत प्रकाश नड्डा (जेपी नड्डा) राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। बीजेपी के संगठन चुनाव प्रभारी राधा मोहन सिंह ने दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में नड्डा के निर्विरोध चुने जाने की घोषणा की। उन्होंने कहा, श्भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की सारी संवैधानिक प्रक्रियाएं को पूरी कर ली गई हैं। जगत प्रकाश नड्डा 2019 से 2022 के लिए सर्वानुमति से अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। निवर्तमान अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत पार्टी के तमाम नेताओं ने नड्डा के निर्विरोध निर्वाचन पर खुशी व्यक्त की और अपने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को बधाई दी।

निर्भयाः सुको ने पवन को नहीं माना नाबालिग

तीन जजों की बेंच ने पूछा– एक ही मुद्दा कितनी बार उठाएंगे

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने निर्भया केस में दोषी ठहराए गए पवन गुप्ता की नाबालिग होने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। आपको बता दें कि पवन ने याचिका दाखिल कर कहा था कि वह अपराध के वक्त नाबालिग था। कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए साफ कहा कि अगर आप इस तरह अर्जी दाखिल करते रहेंगे तो यह अंतहीन प्रक्रिया हो जाएगी।

3 जजों की बेंच का फैसला

जस्टिस भानुमति की अगुआई वाली तीन जजों की बेंच ने पवन की याचिका पर सुनवाई करते हुए फैसला दोपहर ढाई बजे तक के लिए सुरक्षित कर लिया था। पवन ने सुप्रीम कोर्ट को दी अर्जी में कहा कि वह दिल्ली हाई कोर्ट को भी यह बता चुका है, लेकिन हाई कोर्ट ने इस तथ्य को नजरअंदाज कर दिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने 19 दिसंबर 2019 की सुनवाई में इस दलील को खारिज करते हुए पवन के वकील पर 25 हजार का जुर्माना भी लगाया था।

कोर्ट के तीखे सवालः मामले की सुनवाई के दौरान पवन के वकील ने कहा कि पवन की जन्मतीथि 8 अक्टूबर 1996 है और इस तरह दिसंबर 2012 को जब अपराध हुआ था तब वह नाबालिग था। इसके लिए स्कूल का सर्टिफिकेट पेश किया गया और कहा गया कि ये दस्तावेज नए फैक्ट हैं। लेकिन जस्टिस आर. भानुमति ने सवाल किया कि ये दस्तावेज 2017 का है और कोर्ट तब तक सजा दे चुकी थी। एपी सिंह ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने जानबूझकर इस दस्तावेज को रेकॉर्ड पर नहीं रखा और ये साजिश हुई है।

पवन के वकील ने यह रखी दलील

मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता पवन गुप्ता की ओर से उनके वकील एपी सिंह ने दलील दी थी कि दिसंबर 2012 में जब इस अपराध को अंजाम दिया गया था तब पवन गुप्ता नाबालिग था और उसकी दलील को हाई कोर्ट ने गलत तरीके से नकार दिया था। पवन गुप्ता की ओर से निचली अदालत में यह दलील पेश नहीं की जा सकी थी। तब वह वकील नहीं थे। इस मामले में संबंधित अथॉरिटी को कहा जाए कि पवन को फांसी न दी जाए।

रोड शो के चलते समय पर नहीं पहुंच पाए केजरीवाल

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)

नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली विधानसभा सीट से सोमवार को नामांकन दाखिल नहीं कर पाए। रोड शो के चलते लेट होने की वजह से वह समय पर नामांकन के लिए नहीं पहुंचे, ऐसे वह अब वह कल नॉमिनेशन फाइल करेंगे। अरविंद केजरीवाल आज ही दिन में करीब 12 बजे नामांकन के लिए निकले थे। इस दौरान उन्होंने वाल्मीकि मंदिर से पटेल चौक तक रोड शो निकाला था।

रोड शो को संबोधित करते हुए खुद अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भारी संख्या में मेरे समर्थक आ गए थे और हम उन्हें छोड़कर नहीं जा सकते थे। ऐसे में अब हमने कल नामांकन दाखिल करने का फैसला लिया है। बता दें कि दिल्ली 70 विधानसभा सीटों के लिए उम्मादवारों के नामांकन दाखिल करने का मंगलवार को आखिरी दिन है।

इस दौरान समर्थकों की भारी भीड़ को संबोधित करते हुए और लोगों से मिलते हुए वह निकले थे। बता दें कि नई दिल्ली विधानसभा सीट से अरविंद केजरीवाल तीसरी बार चुनावी समर में उतरने वाले हैं। पहली बार 2013 में उन्होंने इस सीट से चुनाव लड़ा था और तत्कालीन सीएम शीला दीक्षित को 25,000 वोटों से पराजित किया था।

रोड शो

- अब वह आज नॉमिनेशन फाइल करेंगे

तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं केजरीवाल

बता दें कि नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से केजरीवाल लगातार तीसरी बार इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। दो बार उन्होंने इसी सीट से जीत दर्ज की है। इससे पूर्व उन्होंने वर्ष 2013 में तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के खिलाफ पहला नामांकन किया था। इसमें जीत दर्ज की थी। 2015 के में नई दिल्ली विधानसभा से जीत दर्ज केजरीवाल दूसरी बार मुख्यमंत्री बने थे।

Are you Planning to make a Website or already have ?

If yes, then we are here to serve you

What we do

Website Development
All type of Websites E-Commerce, Hotel Booking, Travel, Bus Ticket Booking, News Portal, Blogs, or as per client requirement.

Promotion & Branding
1. Website Promotion & Branding in any country (200+ Countries)
2. Social Media
3. Bulk SMS

Search Engine Optimisation
A-2-Z Work to make a Website Search Engine Friendly.
You tell us, we do it.

Contact:
Gadoli Media Ventures
Shivam Market, 2nd Floor, Darshan Lal Chowk, Dehra Dun. | Mob: 9319700701, 7579011930
E-Mail: contact@gadoli.in

यूनिटेक खरीददारों को संजीवनी

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)

नई दिल्ली। रियल एस्टेट कंपनी यूनिटेक का प्रबंधकीय नियंत्रण केंद्र सरकार अपने हाथों में लेगी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से हजारों होमबायर्स को राहत मिलेगी, जो सालों से अपने घर का इंतजार कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने समाधान की रूपरेखा तैयार करने के लिए यूनिटेक लिमिटेड के नए बोर्ड को दो महीने का समय दिया और उसकी रिपोर्ट मांगी है।

अपने हाथों में लेगी सरकार, सुको ने स्वीकार किया प्रस्ताव

जस्टिस डीवाई चन्द्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने नए बोर्ड को किसी भी तरह की कानूनी कार्यवाही से दो महीने की छूट दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूनिटेक के नए बोर्ड द्वारा समाधान की रूपरेखा बनाने की तैयारी की निगरानी के लिए शीर्ष अदालत के एक रिटायर्ड जज की नियुक्त की जाएगी।

कोर्ट में पेश छह पेज के नोट में केंद्र ने कहा था कि वह यूनिटेक के वर्तमान प्रबंधन को हटाने और सरकार के 10 व्यक्तियों को निदेशक नियुक्त करने के दिसंबर, 2017 के अपने प्रस्ताव पर फिर से गौर करने लिए तैयार है।